# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

GCMS No. 2022 / 32
Manual no- 22 /2022

(Bank Case)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं शाखा कार्यालय– इन्द्रप्रस्थ इन्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रेम शंकर शर्मा

– प्रार्थी

**बनाम**

1. मैसर्स गुरू कृपा आन्नद मोबाईल जरिए प्रोपराइटर श्री रवि आनन्द पुत्र स्व. श्री मुरलीधर आनन्द
   **(ऋणी / बंधककर्ता)**
   पताः बी 52, पालिका बाजार, सिटी मॉल, कोटा (राज.) 324005
   दूसरा पताः म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.) 324005
2. रवि आनन्द पुत्र स्व. श्री मुरलीधर आनन्द
   (ऋणी जमानती व बन्धककर्ता स्व. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मुरलीधर आनन्द के कानूनी उत्तराधिकारी)
   **(सह–ऋणी)**
   पताः बी 52, पालिका बाजार, सिटी मॉल, कोटा (राज.) 324005
   दूसरा पताः म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.) 324005
   तीसरा पताः– फ्लेट नं. 401, चतुर्थ तल, प्लॉट नं. 9, शकुन लक्जर अपार्टमेन्ट, राजीव गांधी नगर, कोटा–344005
3. श्री नानक राम पुत्र श्री मुरलीधर आनन्द (जमानती व बन्धककर्ता स्व. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मुरलीधर आनन्द के कानूनी उत्तराधिकारी)
   पताः म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.) 324005
4. श्री दिलीप आनन्द पुत्र श्री मुरलीधर आनन्द (जमानती व बन्धककर्ता स्व. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मुरलीधर आनन्द के कानूनी उत्तराधिकारी)
   पताः म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.) 324005
5. सुनीता आनन्द पुत्री श्री मुरलीधर आनन्द (जमानती व बन्धककर्ता स्व. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मुरलीधर आनन्द के कानूनी उत्तराधिकारी)
   पताः म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.) 324005
6. सीमा आनन्द पुत्री श्री मुरलीधर आनन्द ( जमानती व बन्धककर्ता स्व. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मुरलीधर आनन्द के कानूनी उत्तराधिकारी)
   पताः म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.) 324005
7. राजेश आनन्द पुत्र श्री मुरलीधर आनन्द ( जमानती व बन्धककर्ता स्व. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मुरलीधर आनन्द के कानूनी उत्तराधिकारी)
   पताः म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.) 324005

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

8. रीता आनन्द पुत्री श्री मुरलीधर आनन्द (जमानती व बन्धककर्ता स्व. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मुरलीधर आनन्द के कानूनी उत्तराधिकारी)
पताः म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.) 324005

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002**

**उपस्थितः–**
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

# आदेश

दिनांकः– 25-04-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय– 9th फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र–400021 एवं शाखा कार्यालय– इन्द्रप्रस्थ इन्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने ऋण खाता संख्या 3929263806 को दिनांक 24.02.2015 को 12,44,000/–(अक्षरेः रूपये बारह लाख चवालीस हजार मात्र), ऋण खाता संख्या 4012061675 को दिनांक 03.07.2018 को 64,00,000/–(अक्षरेः रूपये चोषठ लाख ),ऋण खाता संख्या 3432185829 को दिनांक 13.07.2018 को 1,35,00,000/–(अक्षरेः रूपये एक करोड, पेतीस लाख ), ऋण खाता संख्या 3757023731 को दिनांक 04.06.2019 को 9,00,000/–(अक्षरेः रूपये नो लाख मात्र), ऋण खाता संख्या 3847149334 को दिनांक 02.09.2020 को 9,62,915/–(अक्षरेः रूपये नो लाख बाषठ हजार नो सो पन्द्रह मात्र), इस प्रकार कुल ऋण रूपये 2,32,56,915/–(अक्षरेः रूपये दो करोड, बत्तीस लाख छप्पन हजार नो सो पन्द्रह मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व. श्री मुरलीधर आनन्द की आवासीय सम्पत्ति जो कि म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.), पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1690 वर्ग फीट है चतुःसीमा पूर्व में– रोड, पश्चिम में– मकान नं. 156 पार्ट–बी, उत्तर में– खुला चौक, दक्षिण में– मकान नं. 155, व श्री रवि आनन्द पुत्र स्व. श्री मुरलीधर आनन्द की आवासीय सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं.– 401, शकुन लक्जर, राजीव गांधी नगर एक्सटेन्शन, डकनीया रोड, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1383 वर्ग फीट है। चतुःसीमा पूर्व में– प्लॉट नं. 8, पश्चिम में– खुली जगह के बाद फ्लेट नं. 10, उत्तर में– खुली जगह, दक्षिण में– खुली जगह एंव फ्लेट नं. 403, एंव Hypothecation of Vehicle No. RJ20CE 7706 Chasis No. WVW 613166DA550917 in the name of Mr. Ravi Anand S/O Late Murlidhar Anand** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा सभी खातो को दिनांक 29.11.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के खाते में दिनांक 17.08.2021 तक बकाया कुल रूपये 2,39,64,600.73/–रूपये (अक्षरेः– दो करोड, उनतालीस लाख चोषठ हजार छः सौ रूपये तिहत्तर पैसे मात्र।) व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की अचल **सम्पत्ति श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व. श्री मुरलीधर आनन्द की आवासीय सम्पत्ति जो कि म.नं. 156–ए, सिन्धी कॉलोनी, वल्लभ नगर, दुख निवारण गुरूद्वारा के पास, कोटा (राज.), पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1690 वर्ग फीट है चतु:सीमा पूर्व में– रोड, पश्चिम में– मकान नं. 156 पार्ट–बी, उत्तर में– खुला चौक, दक्षिण में– मकान नं. 155, व श्री रवि आनन्द पुत्र स्व. श्री मुरलीधर आनन्द की आवासीय सम्पत्ति जो कि फ्लेट नं.– 401, शकुन लक्जर, राजीव गांधी नगर एक्सटेन्शन, डकनीया रोड, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1383 वर्ग फीट है। चतु:सीमा पूर्व में– प्लॉट नं. 8, पश्चिम में– खुली जगह के बाद फ्लेट नं. 10, उत्तर में– खुली जगह, दक्षिण में– खुली जगह एंव फ्लेट नं. 403, एंव Hypothecation of Vehicle No. RJ20CE 7706 Chasis No. WVW 613166DA550917 in the name of Mr. Ravi Anand S/O Late Murlidhar Anand** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25-4-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)